कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, पश्चिम (सा.) वनमण्डल मण्डला

Mail Address :->dfotwmand@mp.gov.in , Fax/Phone :-> 07642-251014

क्रमांक / मा0चि0 / 20 / 237 मण्डला, दिनाँक 25 / 01 / 2020

प्रति,

मैनेजर,
जियो डिजिटल फाईबर प्राईवेट लिमिटेड,
3 फ्लोर, डी0बी0 सिटी मॉल, अरेरा हिल्स,
एम0पी0 नगर, भोपाल (म0प्र0)

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत् **नैनपुर से लामता** रोड के किनारे **ओ0एफ0सी0** लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वनभूमि रकबा **0.296** हेक्टेयर के प्रत्यावर्तन बावत्।

संदर्भः– 1– On line पंजीयन क्र0 / FP/MP/OFC/42712/2019 दिनांक 31.10.2019.
2–मुख्य वनसंरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर का पत्र क्र0 / मा0चि0 / 723 दिनांक 24.01.2020.
2–उप वनमण्डलाधिकारी महाराजपुर का पत्र क्र0 / 53 दिनांक 08.01.2020.
3–वन परिक्षेत्र अधिकारी बम्हनी का पत्र क्र0 / 1135 दिनांक 27.12.2019.

विषयांतर्गत लेख है कि सन्दर्भित पत्रों के क्रम में आपके द्वारा वनभूमि में Right of Way के तहत् वन परिक्षेत्र बम्हनी अंतर्गत निम्न क्षेत्रों के रोड किनारे OFC लाईन डालने हेतु प्रस्तावित रकबा **0.296** हेक्टेयर वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है :–

प्रभावित होने वाले कक्ष / रकबा का विवरण इस तरह है :–

क्र0	वन परिक्षेत्र	वनखण्ड	कक्ष क्र0	कक्ष के अंतर्गत प्रस्तावित			जी0पी0एस0 रीडिंग (प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक बिन्दु का कक्षवार)
				लम्बाई मी0	चौड़ाई मी0	रकबा हे0	
1	बम्हनी	अतरिया	RF-94A	340	0.50	0.017	N-22°24'09" E-80°05'50" N-22°24'01" E-80°05'58"
2	बम्हनी	अतरिया	O-23	590	0.50	0.029	N-22°24'01" E-80°05'58" N-22°23'53" E-80°06'16"
3	बम्हनी	अतरिया	RF-93B	160	0.50	0.008	N-22°23'06" E-80°06'23" N-22°23'02" E-80°06'24"
4	बम्हनी	अतरिया	RF-92	2190	0.50	0.109	N-22°23'02" E-80°06'24" N-22°21'52" E-80°06'22"
5	बम्हनी	अतरिया	RF-89	1800	0.50	0.090	N-22°21'52" E-80°06'22" N-22°21'07" E-80°06'31"
	बम्हनी	अतरिया	RF-90	858	0.50	0.043	N-22°21'07" E-80°06'31" N-22°20'40" E-80°06'30"
योग–				**5938**	**0.50**	**0.296**	-

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पत्र कमांक एफ/5/18/2002/10–3 दिनांक 18.11.2004 के कंडिका कमांक 4 में प्रावधान है कि प्रस्ताव में वृक्ष कटाई सम्मिलित है तो काटे जानें वाले वृक्षों के दस गुनें वृक्षों के रोपण की शर्त अधिरोपित करते हुए स्वीकृति जारी की जा सकेगी। संबंधित उप वनमण्डलाधिकारी महाराजपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्रों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक एजेंसी द्वारा कोई वृक्षों को हानि नहीं पहुचानें/काटे नहीं जाने के फलस्वरूप **वैकल्पिक वृक्षारोपण** की **राशि आवेदक एजेंसी से नही ली जा रही है।** म.प्र. शासन वन विभाग के पत्र दिनांक 18.11.2004 की कण्डिका 14 तथा पत्र कमांक/एफ–5/16/2000/दस–3 दिनांक 12.09.2008 की कण्डिका 3.8 के अनुसार OFC लाईन बिछाने में **एन0पी0व्ही0 की राशि में छूट दी गई है।**

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/विविध/2019/10–11/3649 दिनांक 13.11.2019 की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि, वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देश बिन्दु क्रमांक 06 के अनुसार रूपये 100/– (एक सौ मात्र) का कैम्पा खाते के Others मद में राशि ऑन–लाईन जमा कराकर सत्यापित प्रति इस कार्यालय को औपचारिक स्वीकृति के अग्रिम कार्यवाही हेतु मय उपरोक्त निर्धारित शर्तो के पालन प्रतिवेदन/वचन–पत्र प्रस्तुत करें। **औपचारिक स्वीकृति** उपरांत ही वनक्षेत्र में ओ0एफ0सी0 लाईन डाला जा सकेगा।

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र0/एफ/5/18/2002/10–3 दिनांक 18.11.2004 के शर्त कमांक 20 के तहत आवेदक द्वारा प्रकरण में राजस्व वन या छोटे बड़े झाड़ या वन जैसा कि सिविल याचिका कमांक 202/95 में सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.96 के निर्णय में परिभाषित वन को आवेदन में नहीं दर्शाये गये हैं को छोड़कर खुदाई के प्रकरण में यह स्वीकृति, केवल वनभूमि के लिए जारी की जा रही है जो कि वन विभाग के अधिपत्य में है।

ऑन–लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/42712/2019 दिनांक 31.10.2019 आवेदक एजेन्सी द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया है। मुख्य वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर के पत्र क्र0/मा0चि0/723 दिनांक 24.01.2020 से प्रकरण पर **अनुमोदन** प्राप्त हुआ है।

अपर प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र0/2637 दिनांक 28.10.2015 के बिन्दु क्रमांक 01 में प्रावधान है कि, वनमण्डलाधिकारी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य की सीमा के बाहर मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत बिना वृक्षो की कटाई के प्राप्त प्रस्ताव मे क्षेत्रफल की कोई सीमा नहीं है।

वन क्षेत्र से होकर गुज़रने वाले OFC लाईन बिछाने की, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा (2) के तहत् एवं म0प्र0 शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र0/18–11–04 दिनांक 14.12.2005 एवं एफ–5/18/2002 दिनांक 01.07.2009 में एक हेक्टेयर से कम वनभूमि के प्रत्यावर्तन के लिये प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए **निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की जाती है :–

1. केबल लाईन डालने हेतु खुदाई/खंती मार्ग के किनारे–किनारे मार्ग सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्र (राईट ऑफ वे) में ही किया जावेगा।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक/एफ–11/2015/2637 दिनांक 28.10.2015 के अनुसार केबल लाईन बिछाने के लिये खोदी जाने वाली खंती की गहराई 2.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।
3. वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले मार्ग, जिसमें केबल लाईन खोदा जाना है, वनभूमि हस्तांतरित नहीं की जावेगी।
4. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नहीं किया जावेगा।
5. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य के लिये नहीं किया जावेगा।
6. खंती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जाएगी तथा खंती में आने वाली जड़ों को नहीं काटा जायेगा।
7. समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा उनके व्यय पर खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से ही किया जावेगा।

8. समतलीकरण कार्य हेतु यदि मिट्‌टी/मुर्रम/पत्थर की आवश्यकता हो तो वन क्षेत्र से उत्खनन नहीं किया जावेगा।
9. आवेदक संस्था रोड सीमा के अंतर्गत ही केबल बिछाने के लिए खुदाई का कार्य करेंगे।
10. यदि आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार द्वारा वन भूमि/वन को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है अथवा समतलीकरण का कार्य अधूरा/अपूर्ण रखा जाता है, तो निर्धारित राशि आवेदक/आवेदक संस्थान से देय होगी।
11. आवेदक/आवेदक संस्थान को उक्त अनुमति में **नैनपुर से लामता** तक मार्ग के किनारे–किनारे केवल वन भूमि के लिये हैं। राजस्व विभाग के वन क्षेत्र (छोटे–बड़े झाड़ का जंगल) के लिये नहीं है।
12. यदि भविष्य में शासन अथवा इस कार्यालय द्वारा अन्य कोई शर्तों को अधिरोपित किया जाता है तो वह आवेदक/आवेदक संस्थान को मान्य होगी।
13. कार्य के दौरान किसी भी वन अधिकारी द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा व दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. कार्योपरांत संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी को सूचित कर निरीक्षण कराया जावेगा तथा कार्य सम्पादित प्रतिवेदन मय संभावित स्थलों के छायाचित्र सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार छायाप्रति।

(एम0एन0 त्रिवेदी)
भा0व0से0
वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा0) वनमण्डल, मण्डला

पृष्ठां0 क्र0/मा0चि0/20/ 238 **मण्डला, दिनांक 25/01/2020**
प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर की ओर उनके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कलेक्टर, मण्डला की ओर अपर सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल के पृष्ठा0 क्र0/एफ/5/18/2002/10–3 दिनांक 18.11.2004 (पत्र आपको पृष्ठांकित है) के अनुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उक्त पत्र के शर्त क्र0 20 एवं इस पत्र में अंकित शर्त क्र0 11 में निहित प्रावधान अनुसार, आवेदक विभाग द्वारा राजस्व विभाग के अधीन वन क्षेत्र में खुदाई करते हुए पाए जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला

पृष्ठां0 क्र0/मा0चि0/20/ 239 **मण्डला, दिनांक 25/01/ 2020**
प्रतिलिपि :–

1. मण्डल प्रबंधक, मोहगांव परियोजना मण्डल,मण्डला की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपवनमण्डलाधिकारी महाराजपुर (सा0) एवं
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी बम्हनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
पश्चिम (सा.) वनमण्डल, मण्डला